पंजीयन कमांक -209/भीलवाड़ा/2009-10 पंजीयन दिनांक 23/03/2010

सुन्दर बाई भैरू लाल संचेती एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, भीलवाड़ा

13, मिलन टॉकीज रोड़, हरि सेवा मार्ग, भीलवाड़ा

पूर्व विधान

1- **संस्था का नाम :-**
इस संस्थान का नाम सुन्दर बाई भैरू लाल संचेती एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, भीलवाड़ा है व रहेगा।

2- **पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र :-**
संस्थान का पंजीकृत कार्यालय 13 मिलन टॉकीज रोड़, हरि सेवा मार्ग, भीलवाड़ा है व रहेगा तथा इस संस्थान का कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य तक सीमित होगा ।

3- **संस्था के उद्देश्य :-**
इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. उच्च शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा, तकनीकी शिक्षा हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना, विकास करना, संचालित करना, प्रशिक्षण देना, अनुसंधान करना एवं उसे चलाना।
2. बच्चों को शिक्षा के लिए पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्चतर तकनीकी शिक्षा देने के उद्देश्य से विद्यालय महाविद्यालय, इन्स्टीट्यूट एवं विश्वविद्यालय प्रारम्भ करना, चलाना, प्रबंधन करना एवं रखरखाव करना।
3. रोजगारोन्मुखी एवं सभी प्रकार के वोकेशनल कोर्सेज चलाना, संचालन करना।
4. शिक्षा और शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर अन्य विधाओं में अनुसंधान करना।
5. समाज के जरूरतमंद छात्र-छात्राओं के विकास के लिए सामान्य शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु आर्थिक एवं अन्य सहयोग प्रदान करना एवं शिक्षा का प्रबंधन करना।
6. समाज में शैक्षणिक उन्नयन के लिए आवश्यकतानुसार विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्ताकालय छात्रावास स्थापित करना एवं उन्हे चलाना।

संशोधित विधान

1- **संस्था का नाम :-**
इस संस्थान का नाम सुन्दर बाई भैरू लाल संचेती एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, भीलवाड़ा है व रहेगा।

2- **पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र :-**
संस्थान का पंजीकृत कार्यालय 13 मिलन टॉकीज रोड़, हरि सेवा मार्ग, भीलवाड़ा है व रहेगा तथा इस संस्थान का कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य तक सीमित होगा ।

3- **संस्था के उद्देश्य :-**
इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. उच्च शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा, तकनीकी शिक्षा हेतु शिक्षक- शिक्षा, नर्सिंग एज्युकेशन संस्थान स्थापित करना, विकास करना, संचालित करना, प्रशिक्षण देना, अनुसंधान करना एवं उसे चलाना।
2. बच्चों को शिक्षा के लिए पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्चतर तकनीकी शिक्षा देने के उद्देश्य से विद्यालय महाविद्यालय, इन्स्टीट्यूट एवं विश्वविद्यालय प्रारम्भ करना, चलाना, प्रबंधन करना एवं रखरखाव करना।
3. रोजगारोन्मुखी एवं सभी प्रकार के वोकेशनल कोर्सेज चलाना, संचालन करना।
4. शिक्षा और शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर अन्य विधाओं में अनुसंधान करना।
5. समाज के जरूरतमंद छात्र-छात्राओं के विकास के लिए सामान्य शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु आर्थिक एवं अन्य सहयोग प्रदान करना एवं शिक्षा का प्रबंधन करना।
6. समाज में शैक्षणिक उन्नयन के लिए आवश्यकतानुसार विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्ताकालय छात्रावास स्थापित करना एवं उन्हे चलाना।

अध्यक्ष — President, Sunderbai Bhairulal Sancheti

Ashok Sancheti — सचिव — Secretary

कोषाध्यक्ष

Signature valid
Digitally signed by Arvind Ojha
Designation: REGISTRAR
Date: 2024.05.28 12:45:07 IST
Reason: Approved
Location:

सुन्दर बाई भैरू लाल संचेती एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, भीलवाड़ा

13, मिलन टॉकीज रोड़, हरि सेवा मार्ग, भीलवाड़ा

पूर्व विधान	संशोधित विधान
7. खेलकूद, व्यायाम की सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं प्रतियोगिताएं आयोजित करना।	7. खेलकूद, व्यायाम की सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं प्रतियोगिताएं आयोजित करना।
8. शिक्षा के लिए जन चेतना जागृति लाना एवं प्रचार प्रसार करना।	8. शिक्षा के लिए जन चेतना जागृति लाना एवं प्रचार प्रसार करना।
9.महिला शिक्षा के लिए सभी प्रकार के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं सुविधाएं मुहैया कराना।	9.महिला शिक्षा के लिए सभी प्रकार के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं सुविधाएं मुहैया कराना।
10. जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, परिवहन व अन्य सुविधाएं प्रदान करना।	10. जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, परिवहन व अन्य सुविधाएं प्रदान करना।
11. सभी प्रकार की चिकित्सा से संबंधित अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्रो का निर्माण करना व संचालन करना।	11. सभी प्रकार की चिकित्सा से संबंधित अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्रो का निर्माण करना व संचालन करना।
12.उपरोक्ता गतिविधियों के संचालन हेतु सोसायटी के लिये चल अचल सम्पत्ति कय-विकय करना, किराये देना, ऋण लेना, ऋण के लिये सोसायटी के सम्पत्ति को गिरवी रखना एवं सोसायटी की गतिविधियों को संचालित करना।	12.उपरोक्ता गतिविधियों के संचालन हेतु सोसायटी के लिये चल अचल सम्पत्ति कय-विकय करना, किराये देना, ऋण लेना, ऋण के लिये सोसायटी के सम्पत्ति को गिरवी रखना एवं सोसायटी की गतिविधियों को संचालित करना।
उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।	**उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।**
4- **सदस्यता :-**	4- **सदस्यता :-**
निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:-	निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:-
1. संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हों। 2. बालिग हों। 3. पागल, दिवालिए न हों। 4. संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों। 5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।	1. संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हों। 2. बालिग हों। 3. पागल, दिवालिए न हों। 4. संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों। 5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।
5. **सदस्यों का वर्गीकरण :-**	5. **सदस्यों का वर्गीकरण :-**
संस्थान के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे:- 1. आजीवन 2. साधारण	संस्थान के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे:- 1. आजीवन 2. साधारण

अध्यक्ष — President, Sunderbai Bheruial Sancheti

सचिव — Secretary, Sunderbai Bherulal Sancheti

कोषाध्यक्ष

Signature valid
Digitally signed by Arvind Ojha
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.05.28 12:45:07 IST
Reason: Approved
Location:

पंजीयन कमांक -209/भीलवाड़ा/2009-10 पंजीयन दिनांक 23/03/2010

सुन्दर बाई भैरू लाल संचेती एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, भीलवाड़ा

13, मिलन टॉकीज रोड़, हरि सेवा मार्ग, भीलवाड़ा

पूर्व विधान	संशोधित विधान
6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :- उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा 1. आजीवन राशि 50,000 रू. 2. सामान्य राशि 5,000 रू. वार्षिक उक्त राशि एकमुश्त जमा कराई जा सकेगी।	**6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :-** उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा 1. आजीवन राशि 50,000 रू. 2. सामान्य राशि 5,00 रू. वार्षिक उक्त राशि एकमुश्त जमा कराई जा सकेगी।
7- सदस्यता से निष्कासन :- संस्थान के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा 1. मृत्यु होने पर 2. त्यागपत्र देने पर 3. संस्थान के उद्धेश्यों के विपरीत कार्य करने पर 4. प्रबंधकारिणी द्वारा दोषी पाए जाने पर। उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अंदर-अंदर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा।	**7- सदस्यता से निष्कासन :-** संस्थान के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा 1. मृत्यु होने पर 2. त्यागपत्र देने पर 3. संस्थान के उद्धेश्यों के विपरीत कार्य करने पर 4. प्रबंधकारिणी द्वारा दोषी पाए जाने पर। उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अंदर-अंदरलिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा।
8- साधारण सभा :- संस्थान के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिल कर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।	**8- साधारण सभा :-** संस्थान के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिल कर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।
9- साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :- साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे :- 1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना 2. वार्षिक बजट पारित करना 3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना 4. संस्थान के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)	**9- साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :-** साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे :- 1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना 2. वार्षिक बजट पारित करना 3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना 4. संस्थान के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय मेंफाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

President Secretary

Signature valid
Digitally signed by Arvind Ojha
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.05.28 12:45:07 IST
Reason: Approved
Location:

पंजीयन कमांक -209/भीलवाड़ा/2009-10 पंजीयन दिनांक 23/03/2010

सुन्दर बाई भैरू लाल संचेती एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, भीलवाड़ा

13, मिलन टॉकीज रोड़, हरि सेवा मार्ग, भीलवाड़ा

पूर्व विधान	संशोधित विधान
10- साधारण सभा की बैठकें :-	**10- साधारण सभा की बैठकें :-**
1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/ सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।	1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/ सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।	2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व आवश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।	3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व आवश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे।	4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे।
5. संस्थान के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर सचिव/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अंदर-अंदर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि मे अध्यक्ष/सचिव द्वारा बैठक न बुलाए जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।	5. संस्थान के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर सचिव/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अंदर-अंदर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधिमे अध्यक्ष/सचिव द्वारा बैठक न बुलाए जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।
11- कार्यकारिणी का गठन :-	**11- कार्यकारिणी का गठन :-**
संस्थान को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक प्रबंधकारिणी का गठन किया जावेगा। जिसके निम्न पदाधिकारी व सदस्य होंगे -	संस्थान को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक प्रबंधकारिणी का गठन किया जावेगा। जिसके निम्न पदाधिकारी व सदस्य होंगे -
1. अध्यक्ष - एक	1. अध्यक्ष - एक
2. उपाध्यक्ष - एक	2. उपाध्यक्ष - एक
3. सचिव - एक	3. सचिव - एक
4. कोषाध्यक्ष - एक	4. कोषाध्यक्ष - एक
5. सहसचिव - एक	5. सहसचिव - एक
6. सदस्य - चार	6. सदस्य - दस
इस प्रकार प्रबंधकारिणी में पांच पदाधिकारी व चार सदस्य कुल नौ सदस्य होंगे।	इस प्रकार प्रबंधकारिणी में पांच पदाधिकारी व दस सदस्य कुल पन्द्रह सदस्य होंगे।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

President

Signature valid
Digitally signed by Arvind Ojha
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.05.28 12:45:07 IST
Reason: Approved
Location:

पंजीयन कमांक -209/भीलवाड़ा/2009-10 पंजीयन दिनांक 23/03/2010

सुन्दर बाई भैरू लाल संचेती एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, भीलवाड़ा

13, मिलन टॉकीज रोड़, हरि सेवा मार्ग, भीलवाड़ा

पूर्व विधान	संशोधित विधान
12- कार्यकारिणी का निर्वाचन :- 1. संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जाएगा। 2. चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा। 3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा की जाएगी।	**12- कार्यकारिणी का निर्वाचन :-** 1. संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जाएगा। 2. चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा। 3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा की जाएगी।
13- कार्यकारिणी के कर्त्तव्य एवं अधिकार :- संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्त्तव्य होगे:- 1. सदस्य बनाना/सदस्यता समाप्त करना। 2. वार्षिक बजट तैयार करना। 3. संस्थान की सम्पत्ति की सुरक्षा करना। 4. वेतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवामुक्त करना। 5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों/प्रस्तावों को क्रियान्वित करना। 6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियाँ बनाना 7. अन्य कार्य जो संस्थान के हितार्थ हों करना।	**13- कार्यकारिणी के कर्त्तव्य एवं अधिकार :-** संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्त्तव्य होगे:- 1. सदस्य बनाना/सदस्यता समाप्त करना। 2. वार्षिक बजट तैयार करना। 3. संस्थान की सम्पत्ति की सुरक्षा करना। 4. वेतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवामुक्त करना। 5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों/प्रस्तावों को क्रियान्वित करना। 6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियाँ बनाना 7. अन्य कार्य जो संस्थान के हितार्थ हों करना।
14- कार्यकारिणी की बैठकें :- 1. कार्यकारिणी की वर्ष भर में 5 बैठक अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा बैठक कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा। 3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जाएगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती हैं। 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जो सकेगी। जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डे में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित	**14- कार्यकारिणी की बैठकें :-** 1. कार्यकारिणी की वर्ष भर में 5 बैठक अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा बैठक कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा। 3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जाएगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती हैं। 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जो सकेगी। जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डे में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Arvind Ojha
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.05.28 12:45:07 IST
Reason: Approved
Location:

पूर्व विधान	संशोधित विधान
सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारियों के कम से कम 2 पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आमसभा में करना आवश्यक होगा।	सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारियों के कम से कम 2 पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आमसभा में करना आवश्यक होगा।
15- **प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के कर्त्तव्य एवं अधिकार :-**	15- **प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के कर्त्तव्य एवं अधिकार :-**
1. अध्यक्ष :-	**1. अध्यक्ष :-**
1. बैठकों की अध्यक्षता करना।	1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।	2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकें आहूत करना।	3. बैठकें आहूत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।	4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना।	5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना।
2. उपाध्यक्ष :-	**2. उपाध्यक्ष :-**
1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।	1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।	2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।
3. सचिव :-	**3. सचिव :-**
1. बैठकें आहूत करना।	1. बैठकें आहूत करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकॉर्ड रखना।	2. कार्यवाही लिखना तथा रिकॉर्ड रखना।
3. आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।	3. आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।	4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।	5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
6. पत्र व्यवहार करना।	6. पत्र व्यवहार करना।
7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।	7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।
4. सह सचिव :-	**4. सह सचिव :-**
1. सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना	1. सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना

अध्यक्ष **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

Signature valid
Digitally signed by Arvind Ojha
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.05.28 11:45:07 IST
Reason: Approved
Location:

सुन्दर बाई भैरु लाल संचेती एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, भीलवाड़ा

13, मिलन टॉकीज रोड़, हरि सेवा मार्ग, भीलवाड़ा

पूर्व विधान	संशोधित विधान
2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।	2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।
5. कोषाध्यक्ष :- 1. वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना। 2. दैनिक लेखों पर नियन्त्रण करना। 3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना। 4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।	**5. कोषाध्यक्ष :-** 1. वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना। 2. दैनिक लेखों पर नियन्त्रण करना। 3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना। 4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।
16- **संस्था का कोष :-** 1. चन्दा 2. शुल्क 3. अनुदान 4. सहायता 5. राजकीय अनुदान 6. ऋण 1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जाएगी। 2. अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन सम्भव होगा।	16- **संस्था का कोष :-** 1. चन्दा 2. शुल्क 3. अनुदान 4. सहायता 5. राजकीय अनुदान 6. ऋण 1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जाएगी। 2. अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन सम्भव होगा।
17- **कोष संबंधी विशेषाधिकार :-** संस्थान के हित में तथा कार्य व समय आवश्यकता अनुसार निम्न पदाधिकारी संस्थान की राशि एकमुश्त स्वीकृत कर सकेंगे- 1. अध्यक्ष 75,000 रु 2. सचिव 25,000 रु 3. कोषाध्यक्ष 5,000 रु उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षण की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।	17- **कोष संबंधी विशेषाधिकार :-** संस्थान के हित में तथा कार्य व समय आवश्यकता अनुसार निम्न पदाधिकारी संस्थान की राशि एकमुश्त स्वीकृत कर सकेंगे- 1. अध्यक्ष 5,00, 000 रु 2. सचिव 3,00,000 रु 3. कोषाध्यक्ष 1,50,000 रु उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षण की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।
18- **संस्था का अंकेक्षण :-** संस्थान के समस्त लेखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा।	18- **संस्था का अंकेक्षण :-** संस्थान के समस्त लेखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Signature valid
Digitally signed by Arvind Ojha
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.05.28 11:45:07 IST
Reason: Approved
Location:

पूर्व विधान	संशोधित विधान
19- संस्थान के विधान में परिवर्तन :- संस्थान के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन,परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।	**19- संस्थान के विधान में परिवर्तन :-** संस्थान के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन,परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।
20- संस्थान का विघटन :- यदि संस्थान का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्थान की समस्त चल व अचल संपत्ति समान उद्देश्य वाली संस्थान को हस्तांतरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त 7 कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाएं को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।	**20- संस्थान का विघटन :-** यदि संस्थान का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्थान की समस्त चल व अचल संपत्ति समान उद्देश्य वाली संस्थान को हस्तांतरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त7 कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाएं को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
21- संस्थान के लेखे जोखे का निरीक्षण रजिस्ट्रार संस्थाएँ, भीलवाड़ा को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उनके द्वारा दिए गए सुझावों की पूर्ति की जावेगी।	**21- संस्थान के लेखे जोखे का निरीक्षण** रजिस्ट्रार संस्थाएँ, भीलवाड़ा को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उनके द्वारा दिए गए सुझावों की पूर्ति की जावेगी।
प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) **सुन्दर बाई भैरू लाल संचेती एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, भीलवाड़ा** की सही व सच्ची प्रति है।	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) **सुन्दर बाई भैरू लाल संचेती एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, भीलवाड़ा** की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष President Sundarbai ...

सचिव Secretary Sundarbai Bherulal Sancheti Education and Welfare Society

कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Arvind Ojha
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.05.28 12:45:07 IST
Reason: Approved
Location:

पंजीयन कमांक –209/भीलवाड़ा/2009-10 पंजीयन दिनांक 23/03/2010

सुन्दर बाई भेरु लाल संचेती एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, भीलवाड़ा

13, मिलन टॉकीज रोड़, हरि सेवा मार्ग, भीलवाड़ा

तुलनात्मक स्टेटमेंट

सदस्य सूची

पूर्व के सदस्य	वर्तमान सदस्य
1– राजेश सुराणा पिता श्री धनराज सुराणा	1– रोशन लाल संचेती पिता श्री भेरु लाल संचेती
2– महावीर चौधरी पिता श्री पारसमल चौधरी	2–राजेन्द्र कुमार जैन पिता श्री उमराव सिंह बुरड़
3– नेमीचंद कूकड़ा पिता श्री कन्हैया लाल कूकड़ा	3– श्रीमति आशा संचेती पिता श्री धनराज सुराणा
4–भंवर लाल श्रीश्रीमाल पिता श्री शोभालाल श्रीश्रीमाल	4– श्रीमति मंजु जैन पिता श्री भेरु लाल संचेती
5– अशोक बैद पिता श्री किशोरी लाल बैद	5– श्री प्रकाश संचेती पिता श्री तेजमल संचेती
6– योगेन्द्र बापना पिता श्री पारस मल बापना	6– योगेन्द्र बापना पिता श्री पारस मल बापना
7–श्रीमती सीमा जैन पिता श्री कन्हैया लाल काठेड़	7– श्रीमती सीमा जैन पिता श्री कन्हैया लाल काठेड़
8– अनिल चौधरी पिता श्री गुलाब सिंह चौधरी	8– संजय भटेवड़ा पिता श्री जवरी लाल भटेवड़ा
9– सारिका जैन पिता श्री प्रकाश चन्द खामेसरा	9– पूर्णबासी पंडा पिता श्री रामचंद्र पंडा
10– हर्षवर्द्धन शर्मा पिता श्री ओमप्रकाश शर्मा	10– कैलाश चन्द्र शर्मा पिता श्री देवीलाल शर्मा
11–केशर सिंह चौधरी पिता श्री बलवीर सिंह चौधरी	11– अंकिता जैन पत्नी श्री प्रतीक संचेती
12– प्रकाश जैन पिता श्री हीरालाल गुलाब चन्द	12– अंकिता बुलिया पत्नी श्री राहुल बुलिया
13– रोशन लाल संचेती पिता श्री भेरु लाल संचेती	13– श्री शान्ति लाल श्रीश्रीमाल पिता श्री शोभा लाल श्रीश्रीमाल
14– राजेन्द्र कुमार जैन पिता श्री उमराव सिंह बुरड़	14– श्री विमल नागोरी पुत्र श्री राकेश जी नागोरी
15– श्रीमति आशा संचेती पिता श्री धनराज सुराणा	15– श्री प्रतीक संचेती पुत्र श्री रोशन लाल संचेती
16– श्रीमति मंजु जैन पिता श्री भेरु लाल संचेती	16– संकर्षण पंडा पिता श्री बंशीधर पंडा
17– श्री प्रकाश संचेती पिता श्री तेजमल संचेती	17– जमना कुमावत पत्नी श्री महेश कुमावत
	18– अशोक कुमार जाट पिता श्री रामेश्वर लाल जाट
	19– आशिता संचेती पिता श्री रोशन लाल संचेती
	20–राहुल बुलिया पिता श्री नवरतन मल बुलिया
	21–अशोक कुमार जैन पिता श्री सागर मल जैन
	22–लादूलाल पिता श्री मोती लाल कावड़िया
	23–अशोक कुमार / श्री लक्ष्मी लाल गोखरू

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Secretary President Secretary

Signature valid
Digitally signed by Arvind Ojha
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.05.28 12:45:07 IST
Reason: Approved
Location:

पंजीयन कमांक -209/भीलवाड़ा/2009-10 पंजीयन दिनांक 23/03/2010

सुन्दर बाई भेरु लाल संचेती एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, भीलवाड़ा

13, मिलन टॉकीज रोड़, हरि सेवा मार्ग, भीलवाड़ा

तुलनात्मक स्टेटमेंट

कार्यकारिणी की सूची

पूर्व में कार्यकारिणी		वर्तमानमें कार्यकारिणी	
1- रोशन लाल संचेती / भेरु लाल संचेती	अध्यक्ष	1- रोशन लाल संचेती / भेरु लाल संचेती	अध्यक्ष
2- राजेन्द्र कुमार जैन / उमराव सिंह बुरड़	उपाध्यक्ष	2-राजेन्द्र कुमार जैन / उमराव सिंह बुरड़	उपाध्यक्ष
3- श्रीमति आशा संचेती/ धनराज सुराणा	सचिव	3- श्रीमति आशा संचेती/ धनराज सुराणा	सचिव
4-योगेन्द्र बापना / पारस मल बापना	सहसचिव	4- सीमा जैन / कन्हैया लाल काठेड़	सहसचिव
5- प्रकाश जैन / हीरालाल गुलाब चन्द	कोषाध्यक्ष	5- अंकिता संचेती / प्रतीक संचेती	कोषाध्यक्ष
6- श्रीमति मंजु जैन / भेरु लाल संचेती	सदस्य	6- श्रीमति मंजु प्रकाश जैन / भेरु लाल संचेती	सदस्य
7- नेमीचंद कूकड़ा/ कन्हैया लाल कूकड़ा	सदस्य	7- श्री प्रकाश संचेती / तेजमल संचेती	सदस्य
8- केशर सिंह चौधरी / बलवीर सिंह चौधरी	सदस्य	8- जमना कुमावत / महेश कुमावत	सदस्य
9- अनिल चौधरी / गुलाब सिंह चौधरी	सदस्य	9-अशोक कुमार जाट / रामेश्वर लाल जाट	सदस्य
		10- प्रतीक संचेती / रोशन लाल संचेती	सदस्य
		11- पूर्णबासी पंड्या/ रामचंद्र पंड्या	सदस्य
		12- कैलाश चन्द्र शर्मा / देवीलाल शर्मा	सदस्य
		13- संकर्षण पंड्या / बंशीधर पंड्या	सदस्य
		14- अंकिता बुलिया / राहुल बुलिया	सदस्य
		15- श्री शान्ति लाल श्रीश्रीमाल /शोभा लाल श्रीश्रीमाल	सदस्य

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

President

Signature valid

Digitally signed by Arvind Ojha
Designation: REGISTRAR
Date: 2024.05.28 12:45:07 IST
Reason: Approved
Location: